82

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 230/II/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर, प्रकरण क्रमांक 04/2010-11 स्वमेव निगरानी

1. विष्णु पुत्र श्री शंकर लाल ब्राह्मण,
2. शान्ति बाई पत्नि श्री शंकर लाल ब्राह्मण
   निवासीगण पनवाडा, तहसील कराहल,
   जिला - श्योपुर (म0प्र0) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर,
   जिला - श्योपुर (म0प्र0)
2. तहसीलदार, तहसील कराहल,
   जिला - श्योपुर (म0प्र0) .... अनावेदकगण

श्री राजमणि बंसल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 15/03/2016)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनवाडा, निवासी रामसिंह पुत्र श्री रघुनाथ यादव तथा धनराज पुत्र श्री अनार सिंह द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि ग्राम पनवाडा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 156 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, सर्वे क्रमांक 156/7 मिन रकवा 9 बीघा 10 विस्वा, सर्वे क्रमांक 16 मिन रकवा 9 बीघा 10 विस्वा, सर्वे क्रमांक 45 मिन रकवा 9 बीघा 10 विस्वा, सर्वे क्रमांक 47 मिन रकवा 9 बीघा 10 विस्वा, सर्वे क्रमांक 140/656 रकवा 8 बीघा 19 विस्वा भूमि क, पट्टे हल्का पटवारी बलवीर सिंह भदौरिया हल्का पनवाडा द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों के नाम कराये गये हैं। पट्टेदार ना तो ग्राम के निवासी और ना ही उक्त भूमि पर काबिज है। अतः ऐसे अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टे निरस्त किये जाये। शिकायत की जाँच सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख से करायी गयी, शिकायत सही पाये जाने पर तहसीलदार कराहल का राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ-19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2005 अन्तर्गत म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा 3 के अन्तर्गत पारित आदेश को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव पुनरीक्षण में अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर में लिया जाकर पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 से आवेदकगण के हित में तहसीलदार कराहल द्वारा आदेश दिनांक 25.06.2005 निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि आवेदक को तहसीलदार कराहल द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। आज वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है,

किन्तु अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2015 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा विभिन्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों तथा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्य अध्ययन किया। तहसीलदार कराहल का आदेश दिनांक 25.06.2005 एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा शासन द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग-आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए - 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो

आदेश अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 निरस्त किया जाकर तहसीलदार कराहल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2005 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है। यह आदेश केवल आवेदक क्रमांक 1 व 2 पर प्रभावशील होगा।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर